

न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

(समक्ष-सतीश कुमार गुप्ता)

आप0 पुन0 याचिका क्र0-27 / 17

प्रस्तुति दिनांक-30 / 03 / 2017

श्रीमती उषा सोनी पत्नी मुरारीलाल सोनी

आयु 40 वर्ष निवासी बड़ा बाजार वार्ड नंबर

10 गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

-----निगरानीकर्ता

// विरुद्ध //

1. लक्ष्मीनारायण सोनी पुत्र तेजपाल सोनी आयु

58 वर्ष

2. विवेक सोनी उर्फ विल्लू पुत्र लक्ष्मीनारायण

सोनी आयु 30 वर्ष

3. विनय सोनी उर्फ सोनू पुत्र लक्ष्मीनारायण

सोनी आयु 28 वर्ष

4. श्रीमती राधा सोनी पत्नी विकास सोनी आयु

30 वर्ष

5. श्रीमती मीरा सोनी पत्नी लक्ष्मीनारायण सोनी

आयु 55 वर्ष

6. कुमारी रुबी पुत्री लक्ष्मीनारायण सोनी आयु

25 वर्ष

7. कुमारी रीतू पुत्री लक्ष्मीनारायण सोनी आयु

22 वर्ष,

उक्त सभी निवासीगण बड़ा बाजार वार्ड नंबर

10 गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

-----प्रति निगरानीकर्तागण

निगरानीकर्ता की ओर से – श्री के0सी0 उपाध्याय अधिवक्ता।

सभी प्रति निगरानीकर्तागण की ओर से – श्री भूपेंद्र कांकर अधिवक्ता।

\_\_\_\_\_  
//आदेश//

(आज दिनांक 27.04.2018 को पारित)

01. परिवादी/पुनरीक्षणकर्ता की ओर से यह दांडिक पुनरीक्षण याचिका धारा 399 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद (श्री अमित कुमार गुप्ता) द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 16/12 (श्रीमती उषा विरूद्ध लक्ष्मीनारायण आदि) में पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 17.02.2017 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 504 व 323/34 भा0दं0सं0 को छोड़कर शेष धाराओं 452 व 294 भा0दं0सं0 के तहत सभी अभियुक्तगण/प्रतिनिगरानीकर्तागण के विरूद्ध आरोप विरचित नहीं किये गये हैं।

02. परिवादी/निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत निगरानी याचिका संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 12.01.2011 को सुबह 8:30 बजे वार्ड नंबर 10 गोहद में निगरानीकर्ता और उसकी जिठानी मीरा के मध्य मकान बंटवारा को लेकर निगरानीकर्ता के दरवाजे के सामने आम रास्ता पर बातचीत हो रही थी, उसी दौरान अभियुक्त जिठानी मीरा निगरानीकर्ता को गंदी-गंदी गालियां देने लगी। निगरानीकर्ता ने गालियां देने से मना किया तो वह नहीं मानी और निगरानीकर्ता

अपने घर के अंदर चली गई, तभी जिठानी मीरा एवं उसके पति व पुत्र/पुत्रीगण अर्थात् लक्ष्मीनारायण, विकास, विवेक, विनय, राधा, रूबी, रीतू एक राय होकर घर के अंदर घुस आये और निगरानीकर्ता की लात घूँसों से मारपीट करने लगे और अंदर से खींचकर बाहर चबूतरा पर पटक दिया तथा अभियुक्तगण डण्डे से मारपीट करने लगे। निगरानीकर्ता के चिल्लाने पर उसके लड़के गब्बर व अन्नू बचाने आये तो अभियुक्तगण द्वारा उनकी भी मारपीट की गई, पड़ोसी राजेंद्र कांकर व पप्पू कांकर ने घटना देखी व बीच बचाव कराया। अभियुक्तगण द्वारा जान से मारने की धमकी भी दी गई, जिसकी रिपोर्ट निगरानीकर्ता द्वारा पुलिस थाना गोहद में की गई, लेकिन अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने पर निगरानीकर्ता द्वारा परिवाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर से अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य व जांच उपरांत सभी अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 452 व 323/34 भा0दं0सं0 के अंतर्गत संज्ञान लिया गया।

**03.** निगरानीकर्ता का अपनी याचिका में आगे कहना है कि उक्त मामले में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष परिवादी के द्वारा प्रस्तुत आरोप पूर्व साक्ष्य में सभी अभियुक्तगण/प्रतिनिगरानीकर्तागण के विरुद्ध धारा 294, 452, 323/34 भा0दं0सं0 के अंतर्गत आरोप विरचित किये जाने के पर्याप्त तत्व मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा मनमाने तरीके से अभियुक्तगण के विरुद्ध मात्र धारा 323 व 504 भा0दं0सं0 के अंतर्गत आरोप विरचित किये गये हैं और भा0दं0सं0 की धारा 452 व 294 के अंतर्गत आरोप विरचित नहीं किये गये हैं। अतः आलोच्य आदेश से व्यथित होकर परिवादी/निगरानीकर्ता की ओर से यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि विधि एवं तथ्य के विपरीत होने के कारण स्थिर रखे जाने योग्य नहीं होने से आलोच्य आदेश दिनांक 17.02.2017 को अपास्त कर परिवादी की ओर से प्रस्तुत निगरानी याचिका को स्वीकार करते हुये परिवाद पत्र में वर्णित धाराओं के तहत सभी प्रतिनिगरानीकर्तागण के विरुद्ध धारा 294, 452

भा0दं0सं0 के तहत आरोप विरचित किये जाने हेतु योग्य अधीनस्थ न्यायालय को आदेश प्रदान किया जावे।

**04.** निगरानीकर्ता की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री के0सी0 उपाध्याय एवं प्रतिनिगरानीकर्तागण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री भूपेंद्र कांकर के तर्क सुने गये। योग्य अधीनस्थ न्यायालय के आपराधिक प्रकरण क्रमांक 16/12 (उषादेवी विरुद्ध लक्ष्मीनारायण आदि) के मूल अभिलेख का अवलोकन किया गया।

**05.** प्रकरण के निराकरण के लिये विचारणीय प्रश्न निम्नानुसार है:—

<b>01.</b>	क्या योग्य अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 16/12 (उषादेवी विरुद्ध लक्ष्मीनारायण आदि) में आलोच्य आदेश दिनांकित 17.02.2017 को पारित किये जाने में विधि एवं तथ्य संबंधी ऐसी गंभीर त्रुटि की है, जो शुद्धता, वैधता, औचित्य एवं अधिकारिता के आधार पर पुनरीक्षण शक्तियों के अधीन हस्तक्षेप योग्य है ?
------------	---

### ।। सकारण निष्कर्ष ।।

**06.** परिवादी/निगरानीकर्ता की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता ने अपने इन तर्कों पर अत्यधिक जोर दिया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष परिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत आरोप पूर्व साक्ष्य में परिवाद पत्र में वर्णित धाराओं 294, 452 व 323/34 भा0दं0सं0 के अंतर्गत आरोप विरचित किये जाने के संबंध में पर्याप्त आधार मौजूद होने के बावजूद योग्य अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा मनमाने तरीके से विधि एवं तथ्य के विपरीत अभियुक्तगण के विरुद्ध मात्र धारा 323/34 व 504 भा0दं0सं0 के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया है और अभियुक्तगण के

विरुद्ध धारा 294 व 452 भा0दं0सं0 के अंतर्गत आरोप विरचित नहीं किया गया है, जो कि विधिक दृष्टि से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है, जबकि प्रतिनिगरानीकर्तागण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता ने आलोच्य आदेश को विधिसम्मत होना बताते हुये प्रस्तुत निगरानी याचिका को सारहीन होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

**07.** उपरोक्तानुसार उभयपक्षों के तर्कों पर विचार करते हुये इस निगरानी प्रकरण सह आपराधिक प्रकरण क्रमांक 16/12 (उषादेवी विरुद्ध लक्ष्मीनारायण आदि) के मूल अभिलेख का परिशीलन करने पर पाया जाता है कि अभिलेख पर प्रस्तुत आरोप पूर्व साक्ष्य में परिवादी श्रीमती उषा का कहना है कि उसकी जिठानी अभियुक्त मीरा एवं उसके मध्य बंटवारा की बातचीत चल रही थी, तभी जिठानी अभियुक्त मीरा उसे गंदी-गंदी गालियां देने लगी और फिर सभी अभियुक्तगण/प्रतिनिगरानीकर्तागण एक राय होकर घर में घुस आये तथा उसकी लाठी-डण्डो से मारपीट कर दी, लेकिन प्रतिपरीक्षण के दौरान परिवादी श्रीमती उषा एवं उसकी ओर से प्रस्तुत साक्षीगण गब्बर आ0सा0-1 राजेंद्र कांकर आ0सा0-2 के कथनों में यह तथ्य प्रकट हुआ है कि उक्त बातचीत शामिलाली मकान के बंटवारे को लेकर हो रही थी तथा मारपीट की घटना जिस घर की होना बताई गई है वह उभयपक्ष का शामिलाली मकान है, जिसमें उभयपक्ष निवासरत हैं एवं अभिलेख से यह भी प्रकट है कि उभयपक्ष आपस में परिवारजन हैं।

**08.** इसी प्रकार परिवादी पक्ष द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आरोप पूर्व साक्ष्य में प्रतिपरीक्षण के दौरान यह तथ्य भी प्रकट हुआ है कि अभियुक्तगण/प्रतिनिगरानीकर्तागण द्वारा गाली-गलौंच घर के अंदर की गई थी, जो कि सार्वजनिक स्थान की परिधि में नहीं आता है एवं कथित गाली-गलौंच के कारण परिवादी व उसके परिवारीजन को क्षोभ कारित होने के संबंध में परिवादी सहित उसके साक्षीगण ने कुछ भी प्रकटन नहीं किया है। अतः यह नहीं माना जा



सकता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष परिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत आरोप पूर्व साक्ष्य में सभी अभियुक्तगण/प्रतिनिगरानीकर्तागण के विरुद्ध धारा 294 व 452 भा0दं0सं0 के अंतर्गत भी आरोप विरचित किये जाने के पर्याप्त आधार मौजूद थे और योग्य अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विधि एवं तथ्य के विपरीत मनमाने ढंग से कार्य करते हुये अभियुक्तगण/प्रतिनिगरानीकर्तागण के विरुद्ध उक्त धाराओं के तहत आरोप विरचित नहीं किये गये हैं।

**09.** अतः उपरोक्त निष्कर्षित एवं विश्लेषित परिस्थितियों में निष्कर्ष निकलता है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 16/12 (उषादेवी विरुद्ध लक्ष्मीनारायण आदि) में आलोच्य आदेश दिनांकित 17.02.2017 को पारित किये जाने में विधि एवं तथ्य संबंधी ऐसी कोई भी त्रुटि नहीं की है, जो शुद्धता, वैधता, औचित्य एवं अधिकारिता के आधार पर पुनरीक्षण शक्तियों के अधीन हस्तक्षेप योग्य है।

**10.** परिणामतः निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत यह निगरानी याचिका सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

**11.** आदेश की प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख अविलंब लौटाया जाये।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
व दिनांकित कर पारित किया गया

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(सतीश कुमार गुप्ता)  
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

(सतीश कुमार गुप्ता)  
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)